भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *343

(जिसका उत्तर मंगलवार, 27 मार्च, 2018 को दिया गया)

जेट एयरवेज द्वारा गुटबंदी किया जाना

***343. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेट एयरवेज ईंधन अधिप्रभारों, माल भाड़े और प्रभारों आदि को तय करने और संशोधित करने के लिए अन्य विमान कंपनियों के साथ गुटबंदी कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच की जा रही है;
(ग) क्या भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को एक्सप्रेस इण्डस्ट्री काऊंसिल ऑफ इंडिया से जेट एयरवेज की गुटबंदी के बारे में शिकायतें मिली हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 27.03.2018 को जेट एयरवेज़ द्वारा गुटबंदी किए जाने से संबंधित तारांकित प्रश्न सं. 343 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम (सीसीआई) द्वारा बताया गया है कि एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 19(1)(क) के अन्तर्गत एक सूचना जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, स्पाइस जेट लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड और गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर की थी।

सीसीआई ने मामले का निर्णय दिनांक 17.11.2015 को दिया और जेट एयरवेज़ (इंडिया) लि., इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और स्पाइस जेट लिमिटेड पर क्रमशः 151.69 करोड़ रु., 63.74 करोड़ रुपये और 42.48 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, इन एयरलाइंस के विरुद्ध सीज़ एंड डेज़िस्ट आदेश भी जारी किए गए। यद्यपि एयर इंडिया लिमिटेड पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया क्योंकि उनका आचरण अन्य एयरलाइंस के जैसा नहीं पाया गया। इसी प्रकार, गो एयरलाइंस (इंडिया) लिमिटेड पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया क्योंकि उसने ईंधन अधिप्रभार लगाने सहित वेंडरों द्वारा किए जाने वाले किसी व्यवसायिक कारगो प्रचालन के व्यवसायिक/आर्थिक पक्षों पर बिना नियंत्रण के अपना कार्गो बैली स्पेस तृतीय पक्ष वेंडर को दिया था।

आयोग द्वारा पारित दिनांक 17.11.2015 के आदेश को उल्लंघन करने वाले एयरलाइंस द्वारा माननीय प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (काम्पेक्ट) के सम्मुख चुनौती दी गई। माननीय अधिकरण ने उल्लंघनकर्ता एयरलाइंस द्वारा की गई अपीलों में पारित दिनांक 18.04.2016 के अपने आदेश में आयोग के आदेश को तकनीकी आधारों पर निरस्त कर दिया और मामले को कुछ निदेशों के साथ वापस आयोग को भेज दिया था।

आयोग द्वारा मामले पर पुनर्विचार किया गया और अंतिम आदेश दिनांक 07.03.2018 को पारित किया गया जिसमें जेट एयरवेज़ सहित तीन एयरलाइंस को भाड़ा प्रभार के एक घटक ईंधन अधिप्रभारों को नियत एवं संशोधित करने में एकजुट कार्रवाई का दोषी पाया गया जिससे अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों, जो गुटबंदी सहित प्रतिस्पर्धा रोधी करारों का निषेध करती है, का उल्लंघन हुआ। सीसीआई ने अब जेट एयरवेज़ (इंडिया) लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड और स्पाइस जेट लिमिटेड पर क्रमशः 39.81 करोड़ रुपये, 9.45 करोड़ रुपये और 5.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और इस आदेश की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर जुर्माना राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, इन एयरलाइंस के विरुद्ध सीज एंड डेज़िस्ट आदेश भी जारी किए गए।

*****